बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
—: संकल्प :—

उप निदेशक (नि०), पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक—179 दिनांक—22.08.2025 द्वारा जुलाई—2025 माह के POP में अंकित आँकड़ों के सत्यापन हेतु अंकित सभी अभ्यर्थियों की सूची की माँग श्री प्रणव प्रतीक, जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर, अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर से की गयी। पुनः व्हाटस एप ग्रुप के माध्यम से दिनांक—28.08.2025 एवं दिनांक—29.08.2025 को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया परन्तु श्री प्रतीक द्वारा जिला नियोजनालय, बक्सर का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। दिनांक—29.08.2025 को 10:37 AM में प्रतिवेदन में देर होने का उल्लेख करते हुए व्हाटस एप ग्रुप के माध्यम से जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर को सूचित किया गया। उक्त सूचचा को व्हाटस एप ग्रुप के माध्यम से जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक—29.08.2025 को 10:38 AM में देखकर, प्रतिवेदन भेज रहे है, का संदेश Reply किया गया, परन्तु प्रतिवेदन प्रेषित नहीं की गयी। इस प्रकार श्री प्रतीक द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशालय पत्रांक—1017 दि0—24.10.2025 द्वारा POP संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराने के कारण जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तद्नुसार पत्रांक—444 दिनांक—01.11.2025 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि कार्यालय पत्रांक—355 दिनांक—26.08.2025 द्वारा प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर Email हेतु कार्यालय में रख दिया गया था परन्तु कर्मचारी एवं ऑपरेटर के लापरवाही के कारण सम्पुर्ण प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जा सका। श्री प्रतीक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पत्रांक—258 दिनांक—20.11.2025 एवं पत्रांक—188 दिनांक—30.08.2025 के माध्यम से श्री प्रतीक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रतीक, जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर, अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करके विभागीय ज्ञापन सं0—1359, दिनांक—29.09.2026 द्वारा श्री प्रतीक से आरोप के संदर्भ में बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री प्रतीक द्वारा जिला नियोजनालय, बक्सर के पत्रांक—413, दिनांक—12.10.2026 के माध्यम से बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। श्री प्रणव प्रतीक द्वारा अपने लिखित अभिकथन में बताया गया है कि पूर्व में कार्यालय कर्मी के विभ्रान्ति के कारण संक्षिप्त प्रतिवेदन भेज दिया गया था। प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने से संबंधित मामला संज्ञान में नहीं रहने तथा कर्मी द्वारा किये गये लापरवाही का पूर्वानुमान नहीं रहने के कारण POP संबंधी प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका एवं पुनः उनके द्वारा अवलोकन भी नहीं किया जा सका। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर संदर्भित मामला संज्ञान मे आने के तुरंत बाद विस्तृत प्रतिवेदन भेज दिया गया। श्री प्रतीक द्वारा यह भी बताया गया है कि मूल पदस्थापन जिला नियोजनालय, भोजपुर में रहने एवं निर्वाचन कार्य में व्ययस्तता के कारण ऑपरेटर एवं लिपिक को POP संबंधी प्रतिवेदन ई0मेल से भेजने का निदेश दिया गया। कर्मी द्वारा विभ्रान्ति के कारण सम्पूर्ण प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने सम्बंधी सूचना संज्ञान में आते ही

पूर्ण प्रतिवेदन दिनांक–12.10.2026 को पत्रांक–413 के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही स्वीकार किया गया है कि वरीय पदाधिकारी के निदेश एवं बिहार सरकार सरकारी सेवक आचार नियमावली की अवहेलना करने की उनकी कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा नही है।

3. श्री प्रतीक पर लगाये गये आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन का सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया है कि उक्त आरोप श्री प्रतीक के अतिरिक्त प्रभार वाले जिला नियोजनालय बक्सर से संबंधित है तथा कार्यालय कर्मी के विभ्रन्ति के कारण संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजा गया एवं बाद में संज्ञान में आने पर इसे सुधार कर लिया गया। अतः श्री प्रतीक से प्राप्त बचाव के लिखित अभिकथन को स्वीकृत करते हुए उन्हें लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आशु/17/11
12-11-26

(आशुतोष कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था0 (राज0) –24/2025–1665 पटना, दिनांक–17.11.2026

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को मात्र अवलोकनार्थ। आशु/17/11
12-11-26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था0 (राज0) –24/2025–1665 पटना, दिनांक–17.11.2026

प्रतिलिपिः–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना/ श्री प्रणव प्रतीक, जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर (अतिरिक्त प्रभार बक्सर)/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आशु/17/11
12-11-26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था0 (राज0) –24/2025–1665 पटना, दिनांक–17.11.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राज्यपत्र के अगामी अंक में प्रकाशित करते हुए राज्यपत्र की प्रति युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। आशु/17/11
12-11-26

सरकार के संयुक्त सचिव।